न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—183/2014/223 (2014/00093)

1. भीमराज पुत्र रामपाल, जाति नायक, निवासी ग्राम बरल द्वितीय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. पोलू पुत्र हजारी (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— राजू पुत्र पोलू,
   1/2— हेमराज पुत्र पोलू,
   1/3— सांवरलाल पुत्र पोलू,
   1/4— लहरी बैवा पोलू,
2. नोसर पुत्री हजारी,
3. गोपाल पुत्र छोगा,
4. छगन पुत्र छोगा,
5. कैलाश पुत्र छोगा,
6. जमना पुत्र छोगा,
7. पारसी पुत्री छोगा,
8. रसाली पुत्री छोगा,
9. श्रीमती झमगू पत्नि छोगा,
10. शंकरलाल पुत्र धन्ना,

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम बरल द्वितीय, तह0 बिजयनगर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 27.3.2014 अंतर्गत प्रकरण संख्या 107/2012.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री समीर अहमद खान, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/4, 3 से 6, 9, 10.
3. रेस्पो0 संख्या 2, 7, 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 12.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.3.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत रेस्पो0 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 619, 627 एवं 593 ग्राम बरल दितीय तहसील बिजयनगर में स्थित है । वादी के चाह नंबर 593

से होकर धोरा पगडंडी खसरा नंबर 618, 619 एवं 620 में से होकर गत 50 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादी अनावश्यक वादी की आराजी में हस्तक्षेप कर रहा है इस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद स्वीकार किया जावे । वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर वाद को निरस्त करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.3.2014 द्वारा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादी अपनी खातेदारी आराजी पर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादी उसके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहा है । अधी0न्याया0 को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन कर वादी का वाद डिक्री करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने सरसरी तौर पर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि वादी ने अपने वाद में चाह खसरा नंबर 593 से 50 साल पूर्व से खसरा नंबर 619 एवं 627 में पानी आने जाने का धोरा बना हुआ होने तथा पगडंडी बने होने का कथन किया, जो खसरा नंबर 615, 618 एवं 619 तथा 620 से लगते हुए लगातार वादी का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है । वादी ने अपने वाद में रास्ते बाबत् कोई दादरसी नहीं चाही है बल्कि प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दखल नहीं करने एवं निर्माण नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा था जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधी0न्याया0 को था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । खसरा नंबर 616, 618, 619 व 620 से लगता हुआ धोरा आज से करीब 50 वर्ष पुराना चला आ रहा है जिसकी पुष्टि नायब तहसीलदार, बिजयनगर द्वारा दिनांक 24.11.2011 एवं 28.12.2012 की मौका रिपोर्ट से होती है जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि उक्त खसरों के लगता हुआ काफी पुराना धोरा एवं पगडडी स्थित चली आ रही है जो खसरा नंबर 819 व 827 में जाने का धोरा है जिस पर प्रतिवादीगण जबरन उनको हटाकर निर्माण कराना चाहते है । वादी ने पुराने धोरे को नहीं हटाने बाबत् वाद पेश किया था जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधी0न्याया0 को है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त किया जावे तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/4, 3 से 6, 9 एवं 10 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात खसरा नंबर 615, 618, 619 व 620 से लगते हुए कोई धोरा नहीं है । उपरोक्त भूमियां <u>प्रतिवादीगण/रेस्पो0</u> की खातेदारी भूमियां है । वादी ने अन्य खातेदार की आराजियात में से धोरा एवं पगडंडी का अनुतोष चाहा है जबकि इस हेतु राज0काश्त0अधि0 की धारा

251, 230, 67 में प्रावधान दिये गये है जिसके तहत वादी को चाराजोही करनी चाहिये थी । धारा 88 व 188 राज0काश्त0 अधि0 के तहत धोरे व पगडंडी हेतु वाद संधारण योग्य नहीं है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1975 पेज 134 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 614, 619, 627 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी व खसरा नंबर 593 रकबा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी गैर मुमकिन चाह वादी की खातेदारी की आराजियात है । वादी की आराजी खसरा नंबर 619 व 627 पर वादी का धोरा खसरा नंबर 615, 618, 619 व 620 में से लगातार करीब 50 वर्षो से चले आने का कथन किया साथ ही खसरा नंबर 619, 627 में कुएं के खसरा नंबर 593 से करीब 50 वर्ष पूर्व पानी का धोरा व पगदण्डी खसरा नंबर 615, 618 व 620 में से सटते हुए होने का कथन कर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खसरा नंबर 615, 618, 619, 620 वो ग्राम बरल द्वितीय में से सटते हुए धोर व पगडंडी की स्थायी हक की घोषणा का अनुतोष चाहा है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि खसरा नंबर 615, 618, 619 व 620 से सटते हुए कोई धोरा नहीं है । उपरोक्त खसरा नंबरान प्रतिवादीण्गा की खातेदारी की भूमि है जिस बाबत् वादी को किसी प्रकार से प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र पेश करने का अधिकार नहीं है तथा वादी ने जो अनुतोष चाहा है वह धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के वाद में सुनवाई का न्यायालय को नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारिज किया जावे । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने स्वंय की आराजी खसरा नंबर 619 व 627 पर वादी का धोरा खसरा नंबर 615, 618, 619 व 620 में बने होने का कथन किया तथा साथ ही खसरा नंबर 619, 627 में कुएं के खसरा नंबर 593 से करीब 50 वर्ष पूर्व पानी का धोरा व पगदण्डी खसरा नंबर 615, 618 व 620 में से सटते हुए होने का कथन कर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खसरा नंबर 615, 618, 619, 620 वो ग्राम बरल द्वितीय में से सटते हुए धोर व पगडंडी की स्थायी हक की घोषणा का अनुतोष चाहा है । राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 615, 616 अप्रार्थी संख्या 1 से 9 एवं खसरा नंबर 620 अप्रार्थी संख्या 10 की खातेदारी में दर्ज है । खसरा नंबर 619/1452 व 627 वादी की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नंबर 593 वादी एवं अन्य खातेदारों की खातेदारी में दर्ज है । खसरा नंबर 593 चाह से लगते हुआ रास्ता खसरा नंबर 6154, 618, 619, 620 तक दर्शित है एवं धोरा दर्शित नहीं है । वादी ने धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत अन्य खातेदारो की आराजी में से धोरा व पगडंडी का अनतोष चाहा है जो धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत दिये जाने का प्रावधान नहीं है । धोरा एवं पगडंडी हेतु धारा 251, 230 व 67 राज0काश्त0अधि0 1955 में अलग से प्रावधान दिये गये है । वादी/अपीलांट द्वारा धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत धोरा एवं पगडंडी का अनुतोष चाहे जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संधारण योग्य नहीं है । हम विद्वान

अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.3.2014 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर